राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 83/2015

श्याम सुन्दर शर्मा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये निदेशक (परिवार कल्याण), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं निदेशालय, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर।
3. अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, (परिवार कल्याण), अजमेर।
4. प्रधानाचार्य, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र, अजमेर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 19.01.2015
आदेश की दिनांक : 08.05.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री आशीष सक्सेना, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी को दिनांक 19.05.1990 को कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्त किया गया और दिनांक 04.08.2003 को वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नत किया गया। इसी बीच में प्रत्यर्थी संख्या–4 के कार्यालय में अपीलार्थी दिनांक 04.09.1991 से अगस्त 1999 तक कार्यरत रहा। तत्पश्चात् वहां से कार्यमुक्त होने के बाद अपीलार्थी को अदेय प्रमाण पत्र दिनांक 24.08.1999 (अनुलग्नक–2) जारी किया गया, जिसमें किसी प्रकार का बकाया वेतन नहीं होने का प्रमाण पत्र दिया गया। अपीलार्थी को दिनांक 13.07.2009 (अनुलग्नक–3) द्वारा पत्र के माध्यम से प्रत्यर्थी संख्या–4 ने सूचना दी कि निदेशालय के निरीक्षण विभाग द्वारा भौतिक सत्यापन के दौरान यह पाया कि कुछ स्टोर का सामान प्राचार्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र, अजमेर में कम है और इस आधार पर 86656/– रुपये वसूल पाया जाना अपीलार्थी के विरूद्ध का निरीक्षण विभाग ने आक्षेप लगाया है। अपीलार्थी ने दिनांक 15.07.2009 (अनुलग्नक–4) द्वारा अपने उत्तर में बताया कि उसे दिनांक 24.08.2009 को अदेय प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है। अतः उसके विरूद्ध कोई भी सामान की कमी का किसी प्रकार का अंकन नहीं है। इसके दो वर्ष पश्चात् प्रत्यर्थी विभाग ने दिनांक 14.03.2011 (अनुलग्नक–5) द्वारा 15399/– रुपये वसूली हेतु निर्देश दिये, जिसका अपीलार्थी ने दिनांक 29.03.2011 (अनुलग्नक–6) द्वारा उत्तर देते हुए वही बात बात दौहराई कि उसको दिनांक 24.09.1999 को अदेय प्रमाण पत्र दिया जा चुका है। अतः किसी प्रकार की वसूली किया जाना न्यायहित में उचित नहीं है। प्रत्यर्थी

संख्या 4 के कार्यालय ने आदेश दिनांक 05.06.2014 (अनुलग्नक–16) द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 3 से अपीलार्थी के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने के लिए कहा और अपीलार्थी ने दिनांक 19.06.2014 (अनुलग्नक–17) द्वारा उत्तर देते हुए विशेष रूप से तर्क दिया कि गायब वस्तुओं के संबंध में मांगी गई जानकारी के संबंध में, अपीलार्थी को अधूरी जानकारी प्रदान की गई है और ऑडिट आपत्ति के अनुसार राशि जमा करने से इनकार कर दिया है। आदेश दिनांक 19.06.2014 (अनुलग्नक–18) द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध 15399/– रुपये की वसूली के संबंध में कार्यालय आदेश जारी करते हुये वेतन से कटौती करने हेतु प्रधानाचार्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, प्रशिक्षण केन्द्र, अजमेर को सूचित करने हेतु कहा गया। दिनांक 23.06.2013 (अनुलग्नक–19) द्वारा प्रकरण पर पुनर्विचार करने और अपीलार्थी को विचाराधीन प्रकरण के संबंध में उचित अवसर देने की सिफारिश की गई थी। उपरोक्त अनुशंसा के आधार पर प्रत्यर्थी संख्या 3 ने अपीलार्थी के संबंध में वसूली की कार्यवाही को दिनांक 24.06.2014 (अनुलग्नक–20) द्वारा अगले आदेश तक स्थगित रखा। आदेश दिनांक 12.01.2015 (अनुलग्नक–1) द्वारा प्रत्यर्थी संख्या–4 ने सिफारिश करने वाले प्राधिकारी को सूचित किया कि रिकॉर्ड के आधार पर अपीलार्थी के विरूद्ध वसूली की कार्यवाही को नहीं छोड़ा जा सकता है और अपीलार्थी के वेतन से राशि रुपये 15399/– की वसूली किया जाना उचित है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर आदेश दिनांक 12.01.2015 (अनुलग्नक–1) के साथ–साथ दिनांक 05.06.2014 (अनुलग्नक–16) में उल्लिखित ऑडिट आपत्ति के अनुसरण में शुरू की गई वसूली की विवादित कार्यवाही को अपास्त किया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने भण्डार से संबंधित वसूली न करने का निवेदन किया है, जिसके संबंध में जिस–जिस कर्मचारी के कार्यालय की सामग्री कम पायी गयी है इसके विवरण का चार्ट अनुलग्नक–आर/1 पर उपलब्ध है। ऑडिट द्वारा भण्डार की जांच करने पर अपीलार्थी के अलावा अन्य कार्मिकों के विरूद्ध भी बकाया निकाली गयी है। नियमानुसार अपीलार्थी से वसूली की जानी है इसके संबंध में किसी प्रकार की अनियमितता अथवा नियमों का उल्लंघन वर्तमान अपील में अपीलार्थी साबित करने में असमर्थ रहा है। अतः अपील अपीलार्थी निरस्त किए जाने योग्य है।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ता की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत अपील स्टोर के निरीक्षण विभाग के आक्षेप के आधार पर अपीलार्थी के विरूद्ध जारी वसूली आदेश को अपास्त करने के संबंध में जारी की गई है। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि प्रारम्भ में अपीलार्थी को जारी नोटिस में 86656/– रूपये वसूली के आदेश जारी किये गए थे। अपीलार्थी द्वारा लिखित में जवाब दिये

जाने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा प्रकरण में जांच की जाकर अपीलार्थी को आलोच्य आदेश दिनांक 12.01.2015 (अनुलग्नक–1) द्वारा 15399/– रुपये जमा कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया। यह राशि स्टोर के भौतिक सत्यापन में पायी गई कम सामग्री से संबंधित है। अपीलार्थी की तरफ से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डीबी सिविल रिट याचिका संख्या 729/1984 श्रीमती सोन कंवर बनाम राजस्थान राज्य में पारित निर्णय और एसबी सिविल याचिका संख्या 2353/1999 राजस्थान राज्य बनाम लाल दास वैष्णव एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 17.09.2002 की प्रति प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अंकेक्षण के रिकॉर्ड के आधार पर वसूली किए जाना नियम संगत नहीं है। जांच किये जाने के उपरांत ही वसूली की कार्यवाही उचित है। साथ ही निवेदन किया गया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रफीक मसीह बनाम पंजाब राज्य के प्रकरण में निर्धारित किया है कि तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी सेवा के कार्मिकों से अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली नहीं की जा सकती है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज से स्पष्ट है कि प्रकरण अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली से संबंधित नहीं है, बल्कि अपीलार्थी स्टोर इंचार्ज के रूप कार्यरत था उस समय स्टोर में कम पायी गई सामग्री से संबंधित राशि की वसूली का प्रकरण है। अपीलार्थी के जवाब के आधार पर विभाग द्वारा प्रकरण की जांच कर वसूल की जाने वाली राशि में कमी की जाकर पूर्व में जारी नोटिस की राशि के स्थान पर अब मात्र 15399/– रुपये की वसूली नोटिस जारी किया गया है। स्पष्ट है कि ऑडिट आक्षेप के पश्चात प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जांच करने के उपरान्त वसूली योग्य राशि में कमी कर नोटिस जारी किया गया है। साथ ही यह प्रकरण अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली से संबंधित नहीं है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अदेय प्रमाण–पत्र रोकड़ शाखा से संबंधित है, जबकि वसूली स्टोर शाखा से संबंधित है। अतः उक्त तथ्यों के दृष्टिगत हम पाते है कि प्रत्यर्थी विभाग की कार्यवाही में हस्तक्षेप किए जाने का कोई आधार नहीं है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)